6 माइल, सामदुर, तादोंग -737102
गंगटोक, सिक्किम, भारत
फोन-03592-251212, 251415, 251656
टेलीफैक्स -251067
वेबसाइट - www.cus.ac.in

सिक्किम विश्वविद्यालय
SIKKIM UNIVERSITY

(भारत के संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 2007 में स्थापित और नैक (एनएएसी) द्वारा वर्ष 2015 में प्रत्यायित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A central university established by an Act of Parliament of India in 2007 and accredited by NAAC in 2015)

6th Mile, Samdur, Tadong -737102
Gangtok, Sikkim, India
Ph. 03592-251212, 251415, 251656
Telefax: 251067
Website: www.cus.ac.in

SU/2012/REG-03/SU/2129/1096 — दिनांक: 13 अक्टूबर 2017

**अधिसूचना - 117 /2017**

विषय : **सिक्किम विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (सूटा) के उपविधियों में संशोधन**

दिनांक 11 अगस्त 2017 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 28वीं बैठक में सिक्किम विश्वविद्यालय शिक्षक संघ की उपविधियों में किए गए संशोधनों को इस अधिसूचना के अनुलग्नक के रूप में दिये गए के अनुसार अनुमोदित किया गया है। सूटा की उपविधियों की धारा 7(2) में संशोधन और 'संघ का संगठन' में धारा 1 के अंतर्गत उपबंध (3) का संयोजन किया गया है।

तेज कृष्ण कौल
**(टी.क.कौल)**
**कुलसचिव**
कुलसचिव
Registrar
सिक्किम विश्वविद्यालय
Sikkim University

**वितरण :**

1. कुलपति के सूचनार्थ कुलपति के निजी सचिव
2. कुलसचिव के निजी सचिव
3. वित्त अधिकारी
4. परीक्षा नियंत्रक
5. पुस्तकालयाध्यक्ष
6. अध्ययन विद्यापीठों के डीन
7. डीन, छात्र कल्याण डीन
8. सभी विभागों के अध्यक्ष/प्रभारी
9. अध्यक्ष/महासचिव, सूटा
10. सिस्टम एनालिस्ट – वैबसाइट में आवश्यक प्रविष्टि हेतु
11. कार्यालय प्रति
12. सुरक्षा फ़ाइल

# सिक्किम विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (सूटा)

## उपविधि

**1. नाम एवं स्थान**

इस संघ का पूरा नाम सिक्किम विश्वविद्यालय शिक्षक संघ होगा और संक्षिप्त नाम सूटा होगा। संघ का कार्यालय सिक्किम विश्वविद्यालय (एसयू), सिक्किम, भारत में स्थित होगा।

**धारा 1 उद्देश्य**

इस संघ के उद्देश्य होंगे :

1. सिक्किम विश्वविद्यालय के लोकतान्त्रिक कामकाज को बढ़ावा देना।
2. शैक्षणिक और शोध विषयों पर अध्ययन एवं चर्चा को बढ़ावा देना।
3. शिक्षकों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं का समर्थन करना, सुरक्षा देना, अनुरक्षण करना और सुरक्षित रखना तथा उनकी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में उन्हें सहायता करना।
4. सिक्किम विश्वविद्यालय के शिक्षकों की सेवाशर्तों में सुधार करने के लिए आवश्यक कदम उठाना।
5. शिक्षकों के अधिकारों और उत्तरदायित्वों के विशेष संदर्भ में शैक्षिक और शोध नीति को प्रभावित करनेवाले उपयुक्त क़ानूनों के लिए सुझाव देना, पहल और कार्य करना।
6. शिक्षकों की सामाजिक सुरक्षा के प्रशासन में व्यवस्थित और संचालन करना और/अथवा सहायता करना।
7. सिक्किम विश्वविद्यालय के शिक्षकों, छात्रों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के बीच सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देना और उनके हितों के लिए मनोरंजक गतिविधियों का आयोजन करना।
8. जिन उद्देश्यों से एसयू की स्थापना हुई है, उन उद्देश्यों को बढ़ावा देना।
9. शिक्षकों और उनके परिवारों के कल्याण सुरक्षित करना।

**धारा 2 संगठन स्थिति**

यह संघ गैर-राजनीतिक होगा और सिक्किम विश्वविद्यालया, भारत के सभी शिक्षण संकायों के लिए होगा। यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसाइटी होगा।

**II. संघ का संगठन**

**धारा 1 सदस्यता**

1. संघ की सदस्यता सिक्किम विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों* के लिए खुली होगी। निर्धारित सदस्यता शुल्क का भुगतान करने के बाद वार्षिक तौर पर सदस्यता नवीनीकृत की जाएगी।

2. संघ का सदस्य बनने के लिए इच्छुक प्रत्येक शिक्षक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करेंगे और सामान्य सभा द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जानेवाले शुल्क के भुगतान पर संघ के सदस्य के रूप में नामांकित किया जाएगा।

   (* अस्थायी और अतिथि संकाय शामिल नहीं है)

3. *सिक्किम विश्वविद्यालय के किसी भी संकाय सदस्य को उस विशेष वर्ष में मतदान करने के लिए सक्षम होने के लिए उनके सदस्यता शुल्क को 21 फरवरी तक भुगतान अवश्य करना होगा। r.*

**धारा 2 परिभाषाएँ**

जब तक विषय और संदर्भ अन्यथा आवश्यक नहीं हो, इस उपसंहिता में :

1. **एसयू** सिक्किम विश्वविद्यालय, सिक्किम, भारत के लिए है।
2. **"संघ"** शब्द का अर्थ सिक्किम विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (सूटा) है ।
3. **कार्यकारी समिति** को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, संयुक्त सचिवों, कोषाध्यक्ष, सह-कोषाध्यक्ष और ग्यारह कार्यकारी समिति के ग्यारह सदस्यों के समूह के रूप में समझा जाएँ।
4. **सामान्य सभा** को कार्यकारी समिति के सदस्यों और संघ के अन्य सदस्यों के रूप में समझा जाएं। .

**धारा 3 संघ के प्राधिकारी**

1. सभी सदस्यों से गठित सामान्य सभा सूटा का सर्वोच्च प्राधिकारी होगा।
2. संघ के सामान्य सभा के अधीन एक कार्यकारी समिति और संघ के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे :
   क. अध्यक्ष
   ख. दो उपाध्यक्ष
   ग. एक महासचिव
   घ. दो संयुक्त सचिव
   ङ. एक कोषाध्यक्ष
   च. एक सह-कोषाध्यक्ष
   छ. ग्यारह कार्यकारी सदस्य

**धारा 4 सामान्य सभा**

1. सामान्य सभा जब भी आवश्यकता हो बैठक कर सकती है, किन्तु वार्षिक सामान्य सभा बैठक के साथ एक सेमेस्टर में कम से कम दो बार बैठक अवश्य हो। वार्षिक बैठक को छोड़कर सामान्य सभा की बैठक के एजेंडा को कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और उसे सचिवों द्वारा कम से कम पंद्रह दिन पहले वितरित किया जाएगा।
2. बैठक की तिथि, स्थान और बैठक के उद्देश्य सहित संघ की बैठक की सूचना संघ के सभी सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी।

3. कार्यकारी समिति, जब कभी उपयुक्त समझे, एक दिन के नोटिस में आम सभा की आपातकालीन बैठक बुला सकती है। इस बैठक के लिए कोरम सामान्य सभा का एक तिहाई होगा।

4. कार्यकारी समिति संघ के कम से कम एक तिहाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित मांग के आधार पर ऐसी मांग के लिए प्राप्त नोटिस के दस दिन के अंदर सामान्य सभा की एक आपातकालीन बैठक बुलाएगी।

5. वार्षिक सामान्य सभा की बैठक वर्ष के अंत (अंग्रेजी कैलंडर के अनुसार) में होगी। कार्यकारी समिति इसके लिए निम्नलिखित एजेंडों पर चर्चा करने के लिए एक तारीख तय करेगी:
   - क. सचिव द्वारा तैयार की गई संघ की वार्षिक रिपोर्ट।
   - ख. लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ कोषाध्यक्ष द्वारा तैयार की गई संघ की वित्तीय रिपोर्ट।
   - ग. आगामी वर्ष के लिए कार्य ।
   - घ. अगले वर्ष के लिए बजट।

**धारा 5 कार्यकारी समिति**

1. संघ के दैनिक कार्य एक कार्यकारी समिति को सौंपे जाएँगे, जिसका गठन निम्नानुसार होगा :
   - क. एक अध्यक्ष
   - ख. दो उपाध्यक्ष
   - ग. एक महासचिव
   - घ. दो संयुक्त सचिव
   - ङ. एक कोषाध्यक्ष
   - च. एक सह-कोषाध्यक्ष
   - छ. कार्यकारी सदस्य (अधिकतम ग्यारह)

2. महा सचिव द्वारा अध्यक्ष की सहमति से जब कभी आवश्यकता हो, कार्यकारी समिति की बैठक बुलाई जा सकती है, जबकि, मांग पर बुलाई जानेवाली कार्यकारी समिति की बैठक, कार्यकारी समिति के सदस्यों, जो एक तिहाई से कम न हो, द्वारा हस्ताक्षरित लिखित तौर पर इस तरह की मांग प्राप्त होने के बाद पाँच दिनों के अंदर अध्यक्ष द्वारा बुलाई जाएगी।

3. संविधान और सामान्य सभा के निर्देशों के अधीन समिति के निम्नलिखित अधिकार होंगे :
   - क. संघ की नीति तैयार करना और इसके अनुपालन के लिए आवश्यक कदम उठाना;
   - ख. संघ के वित्तीय प्रशासन को विनियमित करने के लिए नियम बनाना;
   - ग. संघ द्वारा आयोजित किए जाने वाले एसयू शिक्षकों के किसी सम्मेलन के लिए आवश्यक व्यवस्था करना।
   - घ. शिक्षकों के कल्याण और हितों पर आधारित बुलेटिन अथवा अन्य प्रकाशन जारी करना;
   - ङ. संविधान में निर्धारित संघ के लक्ष्य एवं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए व्यावहारिक कदम उठाना;
   - च. संघ के लक्ष्यों और उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण*, निजी निकाय अथवा व्यक्ति से दान स्वीकार करना।

     (* गैर-राजनीतिक)

**धारा 6 संघ के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कार्य**

1. अध्यक्ष सामान्य सभा और कार्यकारी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।
2. उपाध्यक्ष अध्यक्ष को उनके कर्तव्यों के निर्वहन करने में सहायता करेंगे और कार्यकारी समिति द्वारा सौंपे जाने वाली अन्य जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे।
3. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम उपाध्यक्ष (सेवा के आधार पर वरिष्ठता) अध्यक्षता करेंगे।
4. महासचिव अध्यक्ष की सहमति से सामान्य सभा और कार्यकारी समिति की बैठकों का आयोजन करेंगे, उन बैठकों के कार्यवृत्त रखेंगे और संघ की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेंगे।
5. संयुक्त सचिव सचिव को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करेंगे और कार्यकारी समिति द्वारा सौंपे जाने वाली अन्य जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे।
6. कोषाध्यक्ष संघ की वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट और बजट तैयार करेंगे और कार्यकारी समिति द्वारा सौंपे जाने वाली अन्य जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे।
7. सह-कोषाध्यक्ष कोषाध्यक्ष को उनके कर्तव्यों के निर्वहन करने में सहायता करेंगे और कार्यकारी समिति द्वारा सौंपे जाने वाली अन्य जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे।
8. कार्यकारी समिति के सदस्यों को अध्यक्ष द्वारा विभिन्न गतिविधियों के लिए उत्तरदायित्व सौपा जा सकता है।

**धारा 7 चुनाव**

1. संघ के पदाधिकारियों को सम्पूर्ण संघ के सदस्यों द्वारा चुना जाएगा।
2. *(i) मतदान सामान्य सभा द्वारा अनुमोदित तथा चुनाव आयुक्त के तत्वावधान में और कार्यकारी समिति के उद्देश्य से बनाये गए नियमों के तहत मार्च के महीने में गोपनीय बेलट द्वारा किया जाएगा और वे दो वर्षों तक कार्य करेंगे।*

   *(ii) मत की गणना संघ के सदस्यों की उपस्थिति में होगी। मत गणना के बाद चुनाव आयुक्त जैसे ही मतगणना समाप्त होती है, परिणाम घोषणा करने के लिए उत्तरदायी होंगे। कुलसचिव, सिक्किम विश्वविद्यालय कार्यालय अधिसूचना द्वारा सभी विभागों को नए निर्वाचित सदस्यों के नामों को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित करेंगे।*

   *(iii) निवर्तमान कार्यकारी समिति परिणाम की घोषणा होने के तुरंत बाद कुलपति/कुलसचिव/चुनाव आयुक्त की उपस्थिति में नई टीम को कार्यभार सौंप देगी।*
3. संघ का कोई भी सदस्य संघ की कार्यकारी समिति के चुनाव में अपनी उम्मीदवारी दर्ज करने के लिए योग्य है।
4. किसी शिक्षक को किसी सांविधिक जांच अथवा उसके लिए विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार निर्धारित किसी समकक्ष द्वारा वित्तीय अनियमितता, शारीरिक हिंसा, और/अथवा यौन उत्पीड़न का दोषी पाया जाता है, तो वह सूटा के चुनाव में भाग लेने के लिए अयोग्य होगा। जबकि, उसका मतदान करने का अधिकार बरकरार रहेगा। प्रत्येक उम्मीदवार को उम्मीदवारी नामांकन दाखिल करते हुए "पूर्ण प्रकटीकरण मानदंड" का पालन करना अनिवार्य होगा, जिसमें यह कहा जाएगा कि क्या ऐसे

कोई जांच उसके खिलाफ की गई थी, और यदि कोई हो, तो क्या वह लंबित है या किस आधार पर खारिज कर दिया गया है। ऐसी किसी भी जानकारी को मतदाताओं के बीच व्यापक रूप से परिचालित किया जाएगा।

5. संघ का कोई पधाधिकारी उसी पद के लिए पुन: चुनाव के लिए पात्र होगा, पर लगातार दो से अधिक कार्यकाल के लिए नहीं।
6. वरिष्ठ अधिकारी, जो कुलसचिव के स्तर से कम न हो, विश्वविद्यालय का अंश है किन्तु संघ का सदस्य नहीं है और/अथवा सामान्य सभा द्वारा स्वीकार किए गए एक तरस्थ पर्यवेक्षक चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य करेंगे।

**धारा 8 अविश्वास मत**

1. संघ के पदाधिकारी के विरुद्ध अविश्वास मत मांग के आधार पर आयोजित किसी बैठक में लाया जा सकता है।
2. अविश्वास मत उपस्थित दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत से ही पारित किया जा सकता है, बशर्ते कि सदस्यों द्वारा किए गए मतदान की संख्या संघ के कुल सदस्यों के सामान्य बहुमत से कम नहीं हो।

**धारा 9 रिक्तियाँ**

1. मृत्यु, पदत्याग या संघ के कार्यालय में सेवा प्रदान करने में असमर्थ होने की स्थिति में रिक्तियाँ मौजूद होगी। कार्यकारी समिति की रिक्त सदस्यता को शेष कार्यकाल के लिए कार्यकारी समिति के सदस्यों द्वारा पूरा किया जाएगा, सिवाय इसके कि अध्यक्ष, सचिव और कोशाध्यक्ष की पसंद सामान्य सभा की अगली बैठक में पुष्टि की जाने की शर्त पर होगी।
2. यदि उपर्युक्त किसी भी कार्यालय का कोई भी व्यक्ति कार्यकारी समिति की लगातार तीन बैठकों में पर्याप्त कारणों के बिना उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उस कार्यालय के लिए पुन: पात्र होने के पूर्वाग्रह के बिना अपनी सीट खाली किया जाना समझा जाएगा।

**धारा 10 उपविधियों में संशोधन**

1. सामान्य सभा की आवश्यकता के अनुसार उपविधियों में परिवर्तन/संशोधन किया जा सकता है।
2. उपविधियों में संशोधन के लिए कार्यकारी समिति या संघ के सदस्यों के कम से कम एक-तिहाई सदस्यो के समूह द्वारा लिखित रूप में ऐसा करने हेतु उनकी इच्छा को दर्शाते हुए प्रस्तावित किया जाएगा।
3. इन उपविधियों में संशोधनों को टिप्पणियों/आपत्तियों के लिए कम से कम 15 दिन देते हुए सभी सदस्यों को परिचालन के माध्यम से मंजूर किया जा सकता है।
4. उपविधियों में ऐसे किसी भी प्रस्तावित परिवर्तन पर विचार करने के लिए कम से कम पंद्रह दिनों की सूचना दी जाएगी।
5. उपविधियों में किए गए परिवर्तन बैठक में उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से ही किए जा सकते हैं, बशर्ते कि यह संख्या संघ की सदस्यता के बहुमत से कम न हो।

**धारा 11 कोरम**

1. कार्यकारी समिति की बैठक के लिए कोरम बैठक के समय पर उक्त निकाय के सदस्यों की संख्या के एक-तिहाई सदस्यों से पूरा होगा।
2. सामान्य सभा की बैठक के लिए कोरम बैठक के दौरान सदस्यता के एक-तिहाई सदस्यों से पूरा होगा।
3. उपविधियों के संशोधन अथवा अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए आयोजित सामान्य सभा की बैठकों के लिए बैठक के समय सदस्यता के एक-तिहाई सदस्यों से कोरम पूरा होगा।

**धारा 12 वित्तीय प्रबंधन**

**1. संघ के लिए निधि**

दैनिक गतिविधियों के लिए संघ की अपनी निधि होगी। निधि निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त की जाएगी :

1. सदस्यता शुल्क
2. एसयू से दान
3. खेल/सांस्कृतिक कार्यक्रम अथवा फिल्म प्रदर्शनी के आयोजन के द्वारा
4. बैंक में जमा की गई धन राशि से प्राप्त ब्याज

**2. निधियों का रखरखाव**

सूटा के नाम पर एक संयुक्त बचत बैंक खाता खोला जाएगा। बैंक से लेनदेन कम से कम दो महत्वपूर्ण पदाधिकारी (कोषाध्यक्ष एवं अध्यक्ष) के हस्ताक्षर द्वारा किया जाएगा।

**3. निधियों के व्यय की प्रक्रिया**

1. संघ के विधिवत अनुमोदित वार्षिक बजट के आधार पर निधि का उपयोग किया जा सकता है।
2. संघ के वार्षिक बजट को सामान्य सभा द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
3. व्यय की वित्तीय रिपोर्ट को कोषाध्यक्ष द्वारा सामान्य सभा की वार्षिक बैठक में उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

**4. निधियों का लेखा परीक्षण**

1. संघ के आय एवं व्यय का विवरण मौजूदा वित्तीय क़ानूनों के अनुसार रखा जाएगा।
2. निधियों का लेखा परीक्षण सामान्य सभा द्वारा नियुक्त पंजीकृत चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा किया जाएगा।

* **तिरछे अक्षरों में दिये गए संशोधित प्रावधानों को दिनांक 11 अगस्त 2017 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 28वीं बैठक द्वारा अनुमोदित किया गया है।**